उत्तराखण्ड पर्यटन

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

निकट- ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड
गढीकैन्ट, देहरादून- 248001
दूरभाष 2559898-0135 -फैक्स2559988-

पत्रांक 1459/2–7–604/2017 दिनांक 28 जुलाई, 2017

सेवा में,

समस्त स्टेकहोल्डर्स,

विषयः पर्यटन विकास के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन की विभिन्न गतिविधियों से सम्बन्धित दिशा–निर्देश एवं नियमावली का आलेख तैयार किया गया है।

इस सम्बन्ध में समस्त स्टेकहोल्डर्स से विचार–विमर्श हेतु दिनांक 16.08.2017 को होटल पैसिफिक, सुभाष रोड़, देहरादून में सचिव पर्यटन की अध्यक्षता में एक बैठक आहुत की गई है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

4. प्रथम सत्र–	10:30 से 12:30 बजे	उत्तराखण्ड पर्यटन नीति पर चर्चा
	12.30 से 13.30 बजे	ट्रैवल ट्रेड से जुड़े उद्यमियों एवं स्टेकहोल्डर्स से प्रस्तावित दिशा–निर्देशों यथा एडवेंचर टुअर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेण्ट/एजेन्सी एण्ड टुअर ऑपरेटर्स सम्बन्धी दिशा–निर्देश) पर चर्चा
	13.30 से 14.30 बजे	लंच
5. द्वितीय सत्र–	14.30 से 17.00 बजे	साहसिक पर्यटन की गतिविधियों यथा उत्तराखण्ड फुटलांच एरोस्पोर्ट्स नियमावली, उत्तराखण्ड अन्तर्देशीय जलयान नियमावली
	17.00 बजे	जलपान

उक्त दिशा–निर्देश एवं नियमावलियां विभाग की वेबसाइट www.uttarakhandtourism.gov.in पर उपलब्ध हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रस्तावित बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीया,
27.7.17
(पूनम चन्द)
संयुक्त निदेशक

पृ0प0सं0: 1459 (1)/समदिनांकित 2017

प्रतिलिपिः 1. निजी सचिव, सचिव पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।

2. निजी सचिव, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अ0मु0का0अ0 के संज्ञानार्थ।

3. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी (गढ़वालं मण्डल) को उपरोक्त के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने–अपने जनपदों के पर्यटन से जुड़ उद्यमियों को उक्तवत आहुत बैठक में प्रतिभाग करने हेतु अपने स्तर से भी सूचित करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से भी इस कार्यालय को अवगत करायें।

27.7.17
(पूनम चन्द)
संयुक्त निदेशक